

Form No. III
फर्द—अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड बनाम आनन्द पटवा

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 4 पीडीआर एक्ट, 1952

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र (रे0वि0) नं0 147 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2023	<p>पत्रावली सिगहे से पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ/1-(02)2019/509 दिनांक 03.08.2023 से न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़, न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा में क्षेत्राधिकार विभाजन किया है। हस्तगत प्रकरण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को है, ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाकर प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को अंतरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुसार सुनवाई की जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा नियत आगामी पेशी दिनांक से पूर्व भिजवाई जावें। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 22.08.2023 को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश हों।</p>	



-S/D-
(पीयूष समारिया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़
04.08.2023